



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243577
CG-DL-E-13022023-243577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]
No. 616]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2023/माघ 24, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

का.आ. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 157 के कि.मी 29.800 से 39.000 (फुलबानी बाइपास) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 157 के कि.मी 29.800 से 39.000 (फुलबानी बाइपास) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डेपुटी कलेक्टर, भू अर्जन शाखा,	राष्ट्रीय राजमार्ग	उड़ीसा	कंधमाल	खजुरीपाड़ा	1 दादापाजू

	कलेक्टर, कंधमाल ()	संख्या NH157 के कि.मी. 29.8 से 39 तक					2	गुदारी
							3	मुलगुदारी
							4	कालड़ी
							5	तिलकपड़ा
						खोंडमाल फुलबानी	1	पेंजिसाहि
							2	पिताबरी
							3	पखानागाओं

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2023

S.O. 645(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 29.800 to km 39.000 (Phulbani bypass) of National Highway No. 157 in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 157 from km. 29.800 to km 39.000 (Phulbani bypass) in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Duputy Collector, Land Acquisition Section, Collectorate, Kandhamal ()	29.8KM To 39KM	ODISHA	KANDHAMAL	Khajuripada	1 Dadapaju 2 Gudari 3 Mulagudari 4 Kaladi 5 Tilakapada
					Khondmal Phulbani	1 Penjisahi 2 Pitabari 3 Pakhanagaon

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director